संख्या-2/2015/1714 /11-3-15-187/10

प्रेषक,

प्रभु शंकर
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर
उ0प्र0 लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 14 अगस्त,2015

विषयः- निर्देश याचिका संख्या-1912/10 रिव्यू याचिका संख्या-90/2011 भानू प्रताप वाष्णेय बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-08-2014 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका योजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-स्था-6-रिट या0सं0-733/2015(भानू प्रताप वार्ष्णेय)/1069/वाणिज्य कर, दिनांक 23-06-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 25-08-2014 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका में प्रभावी पैरवी कर स्थगनादेश प्राप्त करने एवं अवमानना वाद के प्रकरण में दिनांक 03-07-2015 की सुनवाई में मा0 अधिकरण के पारित आदेश की अद्यतन स्थिति की सूचना/आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभु शंकर
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।